सत्र समीक्षा

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का तृतीय सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का तृतीय सत्र का प्रथम चरण मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 2009 को तथा द्वितीय चरण गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2009 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ। सत्र का प्रथम चरण मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 तथा द्वितीय चरण गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2009 को राष्ट्रगान 'जन गण मण' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। तृतीय सत्र का सत्रावसान 7 सितम्बर, 2009 को हुआ।

तृतीय सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
प्रथम चरण	16	7.7.2009, 8.7.2009, 9.7.2009, 10.7.2009, 13.7.2009, 14.7.2009, 15.7.2009, 16.07.2009, 17.7.2009, 20.7.2009, 21.7.2009, 22.7.2009, 23.7.2009, 24.7.2009, 27.7.2009 तथा 28.7.2009
द्वितीय चरण	1	27.08.2009 (कुल 17 बैठकें)

सभापति तालिका में सदस्यों की नियुक्ति

तृतीय सत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2009 को माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने मेजर ओ.पी. यादव के सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत किये जाने की सूचना दी।

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

तृतीय सत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2009 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तेरहवीं विधान सभा के लिए टोडाभीम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा (अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के कारण प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 173 (2) के अन्तर्गत दिनांक 29 मई, 2009 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है। इसी दिन माननीय अध्यक्ष ने सलुम्बर से निर्वाचित सदस्य श्री रघुवीर सिंह के लोक सभा के लिए उदयपुर (अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने के फलस्वरूप दिनांक 31 मई, 2009 को त्याग-पत्र दिये जाने की सूचना दी। माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दोनों सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 8 जुलाई, 2009 को सदस्य श्री अमराराम ने सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित किये जाते समय यह आपत्ति प्रस्तुत की कि सरकारी मुख्य सचेतक ने सदन में उपस्थापन से पूर्व समिति के प्रतिवेदन की गोपनीयता भंग करते हुए समिति में लिए गये निर्णयों से ईटीवी को अवगत कराया है तथा इस आशय के समाचार भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं । माननीय अध्यक्ष ने समाचार पत्रों की कटिंग्स तथा ईटीवी की फुटेज देखकर बाद में व्यवस्था देने की बात कही। माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 17 जुलाई, 2009 को व्यवस्था दी कि ''कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को दिनांक 7 जुलाई, 2009 को सदन में उपस्थापित किये जाते समय श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा ने इस आशय का व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रक्रिया के नियम 214 के अन्तर्गत कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये जाने तक गोपनीय होता है। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को गोपनीय न रखकर इसे सदन में उपस्थापित किये जाने से पूर्व ईटीवी व समाचार पत्रों को सूचना देकर गोपनीयता भंग की है तथा इस सदन की परम्पराओं व नियमों का उल्लंघन किया है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल सरकारी मुख्य सचेतक व श्री राजेन्द्र राठौड़, सचेतक, भारतीय जनता पार्टी दोनों के द्वारा कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित किये जाने से पूर्व ईटीवी को इस प्रतिवेदन की जानकारी दी गई है, इश आशय के समाचार प्रसारित भी किये हैं।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित किये जाने से पूर्व साक्षात्कार में श्री राजेन्द्र राठौड़, सचेतक, भारतीय जनता पार्टी व श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में सदन में लिए जाने वाले कार्यों की जानकारी मीडिया को देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापन से पहले ही मीडिया/समाचार पत्रों में सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रसारित/प्रकाशित कर दी जाएगी तो फिर कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन में रखे जाने का क्या औचित्य रह जाएगा ?

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पृथक से गोपनीय लिफाफों में भिजवाया जाता है तथा उस प्रतिवेदन पर नितांत गोपनीय अंकित किया जाता है इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में नोट डालकर माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित किये जाने तक गोपनीय रखें। यह प्रक्रिया उचित, नियमानुसार व सुस्थापित परम्पराओं के अनुरूप है तथा यह आवश्यक भी है कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिया जाये तब तक पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाय ।

मैं श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक व श्री राजेन्द्र राठौड़, सचेतक, भारतीय जनता पार्टी सहित समस्त माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि वे भविष्य में सदन की गोपनीयता,

प्रक्रिया नियमों तथा गरिमामय परम्पराओं का आवश्यक रूप से पालन करते हुए सदन की गरिमा बनायें रखेंगे।''

2. दिनांक 17 जुलाई, 2009 को माननीय अध्यक्ष ने श्री अमराराम, श्री पेमाराम व डॉ. विश्वनाथ मेघवाल श्री वीरेन्द्र बेनीवाल व श्री राजेन्द्र राठौड़ द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के तथा दो पृथक-पृथक प्रस्तावों पर व्यवस्था देते हुए कहा कि ''मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अमराराम, श्री पेमाराम व डॉ विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 157-158 के तहत श्री वीरेन्द्र बेनीवाल तथा श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्तावों में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा दिनांक 15.7.2009 को राजस्थान विधान सभा के सदस्य डॉ. रघु शर्मा के विरुद्ध अपराध धारा-500 व 509 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लेकर श्री रघु शर्मा को जरिये जमानती वारण्ट से तलब किये जाने के आदेश को आक्षेपित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर के उक्त आदेश को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि उक्त आदेश भारत के संविधान अनुच्छेद 194(2) के प्रावधानों के विरुद्ध है जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि विधान मण्डल के किसी सदस्य द्वारा विधान मण्डल में कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उक्त प्रस्ताव द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा की गई कार्यवाही को माननीय सदस्य व सदन के विशेषाधिकारों का हनन मानते हुए उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करने हेतु सूचना दी गई है।

मैंने उपरोक्त दोनों विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों पर विचार कर राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-162 के तहत विशेषाधिकार हनन के उक्त दोनों प्रस्तावों को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।''

3. दिनांक 23 जुलाई, 2009 को अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं उनके पारण के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया को सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने नियमानुकूल नहीं बताते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए निम्न बिन्दुओं पर व्यवस्था चाही -

1. अनुदान की मांगों पर चर्चा हो गई किन्तु इन पर मंत्रीगण का राज्य सरकार की ओर से उत्तर नहीं हुआ।
2. मंत्रीगण द्वारा उनके विभागों के संबंध में घोषणाएं भी नहीं की गईं ? यह जानकारी सदन में आनी चाहिये थी जिससे यह सदन वंचित रहा है,
3. माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का क्या हुआ ? सामान्यतया या तो कटौती प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाते हैं या क्या मंत्री महोदय के उत्तर के अभाव में उन्हें स्वीकार किया हुआ मान लिया जाता है। यदि ऐसा हुआ तो कटोती प्रस्तावों की राशि बजट की राशि में जोड़कर पुन: विधान सभा द्वारा पारित की जानी चाहिये।

4. मंत्रीगण के उत्तर के बिना आसन द्वारा मांगें मतदान हेतु रखी गई थीं तत्समय प्रक्रिया नियमों में मत विभाजन के प्रावधानों की पालना नहीं की गई । प्रतिपक्ष द्वारा बार-बार मत विभाजन की मांग किये जाने पर भी मत विभाजन की मांग को नजरअदांज किया गया जबकि नियमानुसार डिवीजन करवाया जाना चाहिये था ।

5. मंत्री अपने उत्तर के बाद सदन से मांगे पारित किये जाने हेतु अनुरोध करता है। वह उनके द्वारा नहीं किया गया, उसके अभाव में मांगें पारित कर दी गईं जो परम्पराओं के विपरीत हैं।

सभापति ने इस पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए बाद में व्यवस्था देने को कहा । माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 28 जुलाई, 2009 को बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी कि ''इस संबंध में माननीय विधायक द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 4 के संबंध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कल की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहूँगा। मांग संख्या 28, मांग संख्या 50 व मांग संख्या-30 पर वाद-विवाद पूर्ण होने के पश्चात् ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री को अपने-अपने विभागों पर हुई चर्चा का उत्तर देना चाहिये था ।

आसन की ओर से नाम पुकारे जाने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देने हेतु खड़े भी हुए लेकिन उसी समय भाजपा विधायक दल के उप नेता ने मंत्रियों की ओर से लिखित उत्तर देने पर एतराज करने का प्रश्न उपस्थित किया। आसन की ओर से उनकी बात सुनी गयी और संसदीय मामलात मंत्री के भी इस संबंध में विचार जानने चाहे। ज्योंहि संसदीय मामलात मंत्री खड़े हुए जैसाकि आपको विदित है प्रतिपक्ष के सदस्यों ने व्यवधान उपस्थित किया जिसके कारण मंत्रीगण का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया और आसन की ओर से अनुदान की मांगे मतदान हेतु प्रस्तुत कर दी गईं।

यह पहला अवसर नहीं है पूर्व में भी कई बार व्यवधान होने की स्थिति में मांगें बिना उत्तर के पारित की गई हैं। इसका ताजा उदाहरण दिनांक 11 अप्रेल, 2005 को मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास बिना मंत्री के उत्तर के सदन में तत्समय हुए व्यवधान के कारण पारित कर दी गई थी।

ऐसा इससे पूर्व में भी अनेक अवसरों पर हुआ है। कल सदन में ऐसा ही व्यवधान हो रहा था इसी कारण मांगें पारित करने संबंधी जो कार्यवाही हुई है वह उचित है।

माननीय मंत्रीगण द्वारा मांगें मतदान हेतु रखने के लिये प्रस्ताव पर ही अनुदान की मांग संख्या 28 व मांग संख्या 50 व मांग संख्या 30 पर विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ था। इसलिये यह कहना कि प्रस्ताव नहीं रखा गया, उचित नहीं है।

जहां तक कटौती प्रस्तावों का संबंध है अनुदानों की मांगों पर विचार प्रारम्भ होने से पूर्व ही आसन की ओर से कटौती प्रस्तावों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सदैव की भांति अपनाई जाने वाली व्यवस्था का आसन की ओर से दिनांक 16 जुलाई, 2009 को उल्लेख कर दिया गया था, जिस पर सदन की सहमति थी। आप कहे, तो व्यवस्था पढ़कर सुना दूँ।

कटौती प्रस्ताव स्वीकार हुए या नहीं इस संबंध में प्रकट की गई माननीय उप नेता भाजपा की शंका उचित नहीं है तथा इस संबंध में परम्पराओं का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

जहां तक अनुदान की मांगों के पारण के समय डिवीजन की मांग का प्रश्न उपस्थित करते हुए उप नेता ने कहा ऐसा विधान सभा में कभी नहीं हुआ मैं इस संबंध में सदन में पूर्व में दिनांक 20 मार्च, 1982 को डिवीजन के ऊपर यही पाइंट ऑफ ऑर्डर उठा था। डिवीजन के ऊपर काफी हल्ला-गुल्ला हुआ। सारी मांगें बिना डिवीजन के पारित कर दी गईं। आप कहे तो तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय आपको पढ़कर सुना दूँ।

कल की समस्त कार्यवाही प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों, इस सदन द्वारा समय-समय पर अपनाई गई परम्पराओं के अनुसार विधिसम्मत हुई है। कोई प्रक्रिया, नियमों व परम्पराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है।'

विशेषाधिकार हनन का प्रश्न

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुख्य सचिव की उपस्थिति में उच्चाधिकारियों की माह जून, 2009 के तीसरे सप्ताह में हुई बैठक में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 33-का के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा अन्तःसत्रकाल में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों पर रोक लगाने से सम्बन्धित विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर विचार व्यक्त किये । माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उन्होंने इन दोनों विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों को राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए भिजवाया है । राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 138 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 4,534 तारांकित तथा/अथवा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 2,163 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें से 461 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध किये गये । दो महिला सदस्यों श्रीमती अनिता भदेल तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सहित 13 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 7 माननीय सदस्यों ने 39-39 प्रश्न प्रस्तुत किये । 72 माननीय सदस्यों ने 20 से कम तारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि प्रश्न प्रस्तुत करने वाले 138 सदस्यों में से 19 सदस्यों ने एक भी तारांकित प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 16-16 प्रश्न श्री ओम बिरला तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल के सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 2,371 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 409 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए । श्री रामलाल गुर्जर, डॉ. फूलचन्द भिण्डा, श्री कालीचरण सराफ, श्री गुलाब चन्द कटारिया, डॉ. राजकुमार शर्मा, श्री राव राजेन्द्र सिंह, श्री बाबूसिंह राठौड़ तथा श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में से 28 सदस्यों ने 20 से कम प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 138 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने

अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत नहीं किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 15 प्रश्न श्री निर्मल कुमावत के, 11 प्रश्न श्री पवन कुमार दुग्गल तथा श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं डॉ. विश्वनाथ मेघवाल के 10-10 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों का यदि विभागानुसार विश्लेषण किया जाये तो तारांकित प्रश्नों में अधिकतम 187 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित , 185 प्रश्न शिक्षा विभाग, 172 प्रश्न जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 153 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 113 प्रश्न गृह विभाग तथा 108 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में 42 प्रश्न शिक्षा विभाग, 29 सार्वजनिक निर्माण विभाग, 27 प्रश्न राजस्व तथा 25 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूचीबद्ध हुए। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में 249 प्रश्न शिक्षा विभाग, 171 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 167 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 130 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 111 प्रश्न गृह विभाग से सम्बन्धित थे । सूचीबद्ध होने वाले सर्वाधिक अतारांकित प्रश्नों में शिक्षा विभाग के 45, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 22-22, पशुपालन विभाग के 20 तथा कृषि विपणन से सम्बन्धित 19 के अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए ।

समीक्ष्य सत्र के द्वितीय चरण में भाजपा के सदस्यों द्वारा बहिष्कार करने के फलस्वरूप प्रश्नकाल निर्धारित समयावधि से पूर्व ही 11.46 मिनिट पर समाप्त हो गया।

स्थगन प्रस्ताव

समीक्ष्य प्रथम सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 49 माननीय सदस्यों के 121 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से तीन प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 46 सदस्यों ने 108 प्रस्ताव, माकपा के 3 सदस्यों ने 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किये । आठ महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 17 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये । श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री अमरा राम तथा श्री वासुदेव देवनानी ने सर्वाधिक 7-7 स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये। वहीं चार महिला सदस्यों ने 3-3 स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य प्रथम सत्र में 79 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की 147 सूचनाओं को सदन में प्रस्तुत किया गया। इनमें से 64 सूचनाओं को पढ़ा गया तथा 83 सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया । प्रस्तुत सूचनाओं में से 45 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने 93, 28 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने 46, तीन माकपा सस्यों ने 5, दो निर्दलीय सदस्यों ने 2 तथा लोकजन शक्ति पार्टी के एक सदस्य ने एक सूचना प्रस्तुत की । 12 महिला सदस्यों द्वारा भी 25 सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं। इनमें से 10 महिला सदस्य भारतीय जनता पार्टी की (23 सूचनाएँ) तथा 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (2 सूचनाएँ) की थीं । सर्वाधिक चार सूचनाएँ श्रीमती अनिता भदेल द्वारा प्रस्तुत की गई जबकि 19 सदस्यों द्वारा 3-3 सूचनाएँ प्रस्तुत की गईं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र के प्रथम चरण में पर्ची के माध्यम से 19 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 26 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 5 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। विषय उठाने वाले सदस्यों में से 12 भारतीय जनता पार्टी, 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) के थे । इनमें से 3 महिला सदस्य ने पर्ची के माध्यम से विषय उठाये। ये सभी महिला सदस्य भारतीय जनता पार्टी की थीं। सदन में उठाये गये विषयों में से भाजपा की श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री रामनारायण मीणा ने सर्वाधिक 3-3 विषय उठाये।

यदि स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख के प्रस्ताव तथा पर्ची के माध्यम से सूचनाएँ प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संख्या का विश्लेषण किया जाये तो 7 माननीय सदस्यों ने उक्त तीनों विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जबकि 26 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव तथा विशेष उल्लेख के प्रस्ताव, 3 सदस्यों ने स्थगन तथा पर्ची एवं 6 माननीय सदस्यों ने विशेष उल्लेख तथा पर्ची के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किये। 40 माननीय सदस्यों ने केवल विशेष उल्लेख की सूचना, 13 सदस्यों ने केवल स्थगन प्रस्ताव तथा 3 सदस्यों ने केवल पर्ची के माध्यम से विषय प्रस्तुत किये।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य प्रथम सत्र में 9 माननीय सदस्यों द्वारा 23 याचिकाएँ सदन में उपस्थापित की गईं। याचिका उपस्थापित करने वाले सदस्यों में से चार सदस्य भारतीय जनता पार्टी तथा 5 सदस्य इनेकां के थे। याचिका उपस्थापित करने वाली एकमात्र भाजपा की महिला सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने चार याचिकाएँ उपस्थापित कीं। भाजपा के ही श्री बाबूसिंह राठौड़ ने सर्वाधिक 6 याचिकाएँ उपस्थापित कीं।

सदन में अव्यवस्था

1. दिनांक 14 जुलाई, 2009 को सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही दिनांक 13.7.2009 को नेता प्रतिपक्ष पर सत्ता पक्ष के सदस्यों डॉ. रघु शर्मा तथा श्री अशोक बैरवा की टिप्पणी तथा उसके उपरांत नेता प्रतिपक्ष द्वारा डॉ. रघु शर्मा की पत्नी पर की गई कथित असंसदीय टिप्पणी के लिए सदन में माफी मांगने की मांग को लेकर अव्यवस्था हुई। यह स्थिति सदन में 15 तथा 16 जुलाई को भी जारी रही। दिनांक 16.7.2009 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत तथा प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे के उद्‌बोधन के पश्चात् सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकी ।
2. दिनांक 21 जुलाई, 2009 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सुजन मार्टिन, ब्रिटिश महिला के साथ हुए बलात्कार मामले के अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सदन के वैल में आकर नारेबाजी करने से सदन में घोर अव्यवस्था हो गई । यह अव्यवस्था दिनांक 22.07.09 को भी जारी रही। बाद में इसी दिवस सदन में लिखित भाषण पढ़ सकने के सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकराने पर पुनः अव्यवस्था हुई।

3. दिनांक 24 जुलाई, 2009 को प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 के प्रावधानों को लागू किये जाने की मांग करते हुए सदन के वैल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हुई । यह अव्यवस्था दिनांक 27 व 28 जुलाई, 2009 को भी जारी रही। 28 जुलाई को सदस्यों को निलम्बित करने के फलस्वरूप प्रतिपक्ष के सदस्यों ने वैल में आकर नारेबाजी की।

मंत्री का बहिष्कार

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने दिनांक 22 जुलाई, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी ने दिनांक 21 तथा 22 जुलाई, 2009 को सदन में हुई घटनाओं के बाद भाजपा विधायक दल के सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय, जिसमें सदन की कार्यवाही में भाग लेने तथा संसदीय कार्य मंत्री तथा गृह मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल के व्यवहार से व्यथित होने के कारण उनके द्वारा सदन में क्षमायाचना किये जाने तक बहिष्कार करने, से अवगत कराया।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

तृतीय सत्र के दौरान जनलेखा समिति के 11, राजकीय उपक्रम समिति के 8, प्राक्कलन 'ख' समिति एवं कार्य सलाहकार समिति के 4-4, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 3 तथा याचिका समिति का एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापन किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान माननीय मंत्रियों द्वारा निम्न विषयों पर सदन में वक्तव्य दिये गये-

क्र.	मंत्री का नाम	तिथि	विषय
1.	श्री महिपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री	13.07.09	राज्य में पेयजल की स्थिति के सम्बन्ध में ।
2.	श्री शांति कुमार धारीवाल गृह मंत्री	21.07.09	ब्रिटिश महिला पत्रकार सुश्री सुजन मार्टिन से हुए बलात्कार प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में कानून-व्यवस्था पर टिप्पणी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
3.	डॉ. जितेन्द्र सिंह उच्च शिक्षा मंत्री	23.07.09	बीकानेर विश्वविद्यालय के छात्रों को विश्व-विद्यालय प्रशासन द्वारा अंकतालिकाएँ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (कुल दो सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किये)
4.	डॉ. जितेन्द्र सिंह आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री	27.08.09	राज्य में आपदा प्रबंधन के सम्बन्ध में ।

सदस्य द्वारा स्पष्टीकरण

सत्र के दौरान निम्न सदस्यों ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिये -

1. दिनांक 22 जुलाई, 2009 को श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री ने दिनांक 21 जुलाई, 2009 को उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि '.... वह टोटल रिलेटेड था, ब्रिटिश लेडी की बाबत्, गुर्जर आन्दोलन के प्रति नहीं था, गुर्जर आन्दोलन के लिए नहीं था। इसके अलावा जो इन्वेस्टीगेशन टीम थी, उसका हैड था, बृजेश सोनी, उसको सस्पैण्ड करते हैं । इसके साथ आई.जी.रेन्ज, उदयपुर के नेतृत्व में नई टीम गठित करके सारे मामले की जाँच करवाई जायेगी।'

सदन में धरना

सत्र के दौरान दिनांक 24 जुलाई, 2009 को उत्पन्न हुई अव्यवस्था के पश्चात् दिनांक 27 जुलाई, 2009 को भारतीय जनता पार्टी के उप नेता श्री घनश्याम तिवाड़ी ने सदन के वैल में अपने दल के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार जब तक गुर्जरों को आरक्षण दिये जाने सम्बन्धी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करवाती, तब तक भाजपा के विधायक सदन में धरने पर बैठे रहेंगे। 24 जुलाई 2009 को प्रतिपक्ष के सदस्य विधान सभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी धरने पर बैठे रहे तथा शाम को राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप कर धरना समाप्त किया। दिनांक 27 जुलाई, 2009 को भी भा.ज.पा. विधायकों ने कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् रातभर सदन में धरना दिया।

सदस्य का निलम्बन

सत्र के दौरान दिनांक 28 जुलाई, 2009 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा कि 'दिनांक 27 जुलाई, 2009 को सदन की कार्यवाही जब पुन: प्रारम्भ हुई और माननीय अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उसी समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आ गये और हो-हल्ला करने लगे। श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेम सिंह भड़ाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत ने आसन के नजदीक जाकर माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोका एवं माइक हटाया और आसन से दी जा रही व्यवस्था संबंधी कागजात को छीन लिया और सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न किया। माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जब सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई, तब भारतीय जनता पार्टी के उपरोक्त के अतिरिक्त श्री भवानी सिंह राजावत एवं कई अन्य माननीय सदस्यों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए भारी व्यवधान प्रारम्भ कर दिया। माननीय अध्यक्ष के आसन पर झपटने लगे, कागजों को हवा में उछालने लगे और हाथापाई व धक्का-मुक्की करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार वे आसन की जानबूझकर अवहेलना करते रहे और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे। उनका यह कृत्य अमर्यादित, अशिष्ट एवं नियमों तथा संसदीय प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन करने वाला रहा है।

माननीय सदस्यों का कृत्य संसदीय परम्पराओं के विपरीत व इनका उक्त आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है। अत: मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उक्त माननीय सदस्यों को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाये। सदस्यता से निलम्बित किया जाये' प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया। दिनांक 27 अगस्त, 2009 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि ' ... इस सदन की उच्च एवं गौरवशाली परम्परा रही है। जब भी पूर्व में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, तत्समय संबंधित सदस्य स्वयं अथवा उनकी ओर से प्रतिपक्ष के माननीय नेता की ओर से खेद प्रकट किये जाने की परम्परा रही है, लेकिन यह प्रथम अवसर है जबकि न तो संबंधित माननीय सदस्यों की ओर से न ही माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से ऐसा करने की मंशा दर्शायी गई है और सदन की बैठकों का बहिष्कार किया जा रहा है जो इस सदन की सुस्थापित परम्पराओं के विरुद्ध है।

सदन के माननीय नेता को बजट पर सामान्य वाद-विवाद एवं विनियोग एवं वित्त विधेयक पर नहीं बोलने देने जैसा कृत्य प्रतिपक्ष की ओर से किया गया है, यहां तक की संसदीय कार्य मंत्री तक को बोलने नहीं देने हेतु बहिष्कार किया गया, फिर भी सत्ता पक्ष का यह मत है कि सदन में पक्ष एवं विपक्ष के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परम्परा यथावत् अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु मैं, यह संकल्प सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री हेमसिंह भड़ाना एवं श्री भवानी सिंह राजावत का निलम्बन, अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए, इस संकल्प के पारित होने के बाद, उनका शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।'

कार्यवाही का बहिष्कार

सत्र के दौरान दिनांक 27 अगस्त, 2009 को प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण में भापजा विधायक दल ने सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया तथा भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने विधान सभा भवन के पश्चिमी द्वार पर मुँह पर सफेद पट्टी बांध कर धरना दिया।

संकल्प

सत्र के दौरान दिनांक 27 अगस्त, 2009 को संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने संविधान (एक सौ नौवां संशोधन) विधेयक, 2009 के अनुसमर्थन का संकल्प प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा पारित कर दिया गया।

वित्तीय कार्य

(क) परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 8 जुलाई, 2009 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 का उपस्थापन किया। परिवर्तित बजट पर वाद-विवाद हेतु चार दिवस आबंटित किये गये। इनमें से प्रथम दिवस दिनांक 9.7.2009 को 17 माननीय

सदस्यों ने, द्वितीय दिवस 10.7.2009 को 14 माननीय सदस्यों ने तथा तृतीय दिवस 13.7.2009 को 5 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। सदन में व्यवधान के कारण चतुर्थ दिवस को वाद-विवाद नहीं हो सका। इस प्रकार कुल 36 माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया। भाजपा के 6, इनेकां के 16, माकपा के 2, निर्दलीय, समाजवादी पार्टी तथा लोक जनशक्ति पार्टी के एक-एक सदस्य ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भाजपा तथा इनेकां की तीन-तीन अर्थात् 6 महिला सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 15 जुलाई, 2009 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चर्चा का उत्तर दिया।

(ख) अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 27 जुलाई, 2009 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया -

मांग सं	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	सदस्य संख्या, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया
36	सहकारिता	16.07.09	120	21
26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	17.07.09	232	47
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	20.07.09	175	42
42	उद्योग	21.07.09	114	व्यवधान
47	पर्यटन	21.07.09	101	व्यवधान
28	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	22.07.09	82	45
50	ग्रामीण रोजगार	22.07.09	53	45
30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	22.07.09	53	45
46	सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित)	23.07.09	148	50
37	कृषि	24.07.09	139	व्यवधान
39	पशुपालन एवं चिकित्सा	24.07.09	137	व्यवधान
16	पुलिस	27.07.09	219	व्यवधान
17	कारागार	27.07.09	99	व्यवधान

(ख) अतिरेक की मांगों पर विचार एवं मतदान

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 27 अगस्त, 2009 को वर्ष 2005-06 के लिए मांग संख्या 21, 27, 42, 43 व 45 अतिरेक मांग मुखबन्द का प्रयोग कर पारित की गई।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

तृतीय सत्र में दिनांक 7 जुलाई, 2009 को तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्य मंत्री श्री बाबूलाल नागर ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिर्वतन) अध्यादेश, 2009 (वर्ष 2009 का अध्यादेश संख्या -2) सदन की मेज पर रखा ।

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
14/2009	राजस्थान वित्त विधेयक, 2009	8.7.2009	-	-
16/2009	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009	16.7.2009	27.08.09	27.08.09
17/2009	राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009	24.07.09	28.07.09	28.07.09
15/2009	राजस्थान विनियोग (संख्या -4) विधेयक, 2009	27.07.09	28.07.09	28.07.09
19/2009	राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009	27.08.09	27.08.09	27.08.09
18/2009	राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2009	27.08.09	27.08.09	27.08.09
20/2009	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2009	27.08.09	27.08.09	27.08.09
21/2009	राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2009	27.08.09	27.08.09	27.08.09
1/2009	राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2009	27.08.09	27.08.09	27.08.09

शोकाभिव्यक्ति

तृतीय सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	प्रथम चरण	
	[7.7.2009]	
1. श्री शिवचरण माथुर	राज्यपाल, असम, पूर्व मुख्य मंत्री व सदस्य 4, 5, 7, 8, 9, 11 एवं 12वीं विधान सभा	25.06.2009
2. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर	उप राज्यपाल, पुडुचेरी व सदस्य 7 से 12वीं वि.स.	6.4.2009
3. श्री भैरव दत्त पाण्डे	पूर्व राज्यपाल, पश्चिम बंगाल व पंजाब	2.4.2009
4. श्री लोकनाथ मिश्र	पूर्व राज्यपाल, असम व नागालैण्ड	27.05.2009
5. श्री गिरधारी लाल भार्गव	पूर्व सदस्य, 5, 6 एवं 8वीं विधान सभा	8.3.2009
6. श्री गुमानमल लोढ़ा	पूर्व सदस्य, 5वीं विधान सभा	22.03.2009
7. श्री रामजीलाल यादव	पूर्व सदस्य, प्रथम विधान सभा	17.05.2009
8. श्री खंगार सिंह चौधरी	पूर्व सदस्य, 6, 8, 9 व 10वीं विधान सभा	20.06.2009
9. श्री चुन्नीलाल मेघवाल	पूर्व सदस्य, आठवीं विधान सभा	02.05.2009
10. श्री मानिकचन्द कोठारी	पूर्व सदस्य, दूसरी विधान सभा	27.06.2009
11. डॉ. गौरीशंकर आचार्य	पूर्व सदस्य, प्रथम विधान सभा	28.06.2009
12. श्री लिखमाराम	भारत के प्रथम जिला प्रमुख	30.06.2009
दिनांक 1.6.2009 को चम्बल नदी में बस गिरने से हुई दुर्घटना के मृतक।		
	[22.7.2009]	
13. श्री गोविन्द सहाय	पूर्व सदस्य, 3, 6 व 9वीं विधान सभा	21.07.2009
	[23.7.2009]	
14. श्री बनवारी लाल बैरवा	पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व सदस्य, 5, 10 व 11वीं विधान सभा	22.07.2009
	[27.8.2009]	
	द्वितीय चरण	
1. श्रीमती गायत्री देवी	पूर्व सांसद	29.07.2009
2. श्री माधोसिंह	पूर्व सदस्य, छठी विधान सभा	11.08.2009

✧✧✧